



## आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कानपुर नगर, तहसील : घाटमपुर  
 वाद संख्या : -00782/2020  
 कंप्यटरीकृत वाद संख्या : -T202003410300782  
 samradhhi shikshan sansthan बनाम up govt etc  
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006  
 समृद्धि शिक्षण संस्थान द्वारा अध्यक्षा विजयलक्ष्मी  
 उत्तर प्रदेश सरकार आदि।

### निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समृद्धि शिक्षण संस्थान द्वारा अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पुत्री राजेन्द्र सिंह निवासिनी 33 डब्ल्यू-2 जूही कला दामोदर नगर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रस्तुत वाद में प्रार्थना की गयी है कि राजस्व ग्राम नन्दना की खतौनी खाता सं0 352 की गाटा सं0 764 रकवा 0.1060 है0 व खतौनी खाता सं0 448 की गाटा सं0 765 रकवा 0.1060 है0 व खतौनी खाता सं0 419 की गाटा सं0 674 रकवा 0.0860 है0, गाटा सं0 770 ख रकवा 0.0480 है0, कुल 2 किता कुल रकवा 0.1340 है0 व खतौनी खाता सं0 362 की गाटा सं0 769 रकवा 0.1060 है0 व गाटा सं0 778 रकवा 0.1920 है0 में से 0.0890 है0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.1950 है0 व खतौनी खाता सं0 518 की गाटा सं0 761 क रकवा 0.2150 है0 में से 0.0537 है0 व खतौनी खाता सं0 519 की गाटा सं0 774 रकवा 0.4020 है0 कुल 08 किता कुल रकवा 0.9967 है0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि भूमि का प्रयोजन वाणिज्यिक रूप से किया जा रहा है जिसे अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार घाटमपुर से आख्या मांगी गयी। तहसीलदार ने जांचोपरान्त प्रस्तुत आख्या में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम नन्दना की खतौनी खाता सं0 352 की गाटा सं0 764 रकवा 0.1060 है0 व खतौनी खाता सं0 448 की गाटा सं0 765 रकवा 0.1060 है0 व खतौनी खाता सं0 419 की गाटा सं0 674 रकवा 0.0860 है0, गाटा सं0 770 ख रकवा 0.0480 है0, कुल 2 किता कुल रकवा 0.1340 है0 व खतौनी खाता सं0 362 की गाटा सं0 769 रकवा 0.1060 है0 व गाटा सं0 778 रकवा 0.1920 है0 में से 0.0890 है0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.1950 है0 व खतौनी खाता सं0 518 की गाटा सं0 761 क रकवा 0.2150 है0 में से 0.0537 है0 व खतौनी खाता सं0 519 की गाटा सं0 774 रकवा 0.4020 है0 कुल 08 किता कुल रकवा 0.9967 है0 पर समृद्धि शिक्षण संस्थान द्वारा अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पुत्री राजेन्द्र सिंह निवासिनी 33 डब्ल्यू-2 जूही कला दामोदर नगर कानपुर नगर का नाम दर्ज है तथा मालिक काबिज व दखील है। उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि मौके पर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन किया जा रहा है तथा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। प्रस्तुत आख्या में खतौनी, नजरी नक्शा, शापथ पत्र, स्थलीय फोटों साथ में संलग्न किया है। तहसीलदार घाटमपुर की आख्या के साथ प्रार्थी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्धारित सर्किल रेट का निर्धारित न्यायालय शुल्क भी जमा किया गया है।

मैंने पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं तहसीलदार घाटमपुर की स्थलीय जांच आख्या का सम्यक अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है एवं मौके पर भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।



### आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कानपुर नगर, तहसील : घाटमपुर  
 वाद संख्या : -00782/2020  
 कंप्यटरीकृत वाद संख्या : -T202003410300782  
 samradhhi shikshan sansthan बनाम up govt etc  
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः समृद्धि शिक्षण संस्थान द्वारा अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पुत्री राजेन्द्र सिंह निवासिनी 33 डब्ल्यू-2 जूही कला दामोदर नगर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार घाटमपुर की आख्या के आधार पर राजस्व ग्राम ग्राम नन्दना की खतौनी खाता सं0 352 की गाठा सं0 764 रकवा 0.1060 हे0 व खतौनी खाता सं0 448 की गाठा सं0 765 रकवा 0.1060 हे0 व खतौनी खाता सं0 419 की गाठा सं0 674 रकवा 0.0860 हे0, गाठा सं0 770 ख रकवा 0.0480 हे0, कुल 2 किता कुल रकवा 0.1340 हे0 व खतौनी खाता सं0 362 की गाठा सं0 769 रकवा 0.1060 हे0 व गाठा सं0 778 रकवा 0.1920 हे0 मे से 0.0890 हे0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.1950 हे0 व खतौनी खाता सं0 518 की गाठा सं0 761 क रकवा 0.2150 हे0 मे से 0.0537 हे0 व खतौनी खाता सं0 519 की गाठा सं0 774 रकवा 0.4020 हे0 कुल 08 किता कुल रकवा 0.9967 हे0 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि इस भूमि पर तहसीलदार घाटमपुर की आख्या से भिन्न तथ्य पाये जाते हैं तो यह आदेश । इन्हीं माना जायेगा और पहले की भाँति भू राजस्व योजित कर दिया जायेगा। तहसीलदार घाटमपुर की आख्या इस आदेश का अभिन्न अंग होगी। परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश । की प्रति उपनिबन्धक घाटमपुर को प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

14.02.2020

असि0 कले0 प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी  
 घाटमपुर कानपुर नगर

Cashiered  
12/02/2020  
~~2020~~

১-২০১

तहसीलदार  
धाटमपुर, कानपुर